

संख्या: 14/16/602

तिथि: 10/08/2023

पावती समय: 03:53 PM

हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोग हेतु

अतारंकित प्रश्न

विषय सडक को तोडने की जानकारी देने बारे।

सूचना प्राप्ति दिनांक 10/08/2023

मंत्री: डॉ. कमल गुप्ता

प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में .....

प्राथमिकता, यदि कोई हो

प्रेषक:

श्री नीरज शर्मा(86) , सदस्य

सेवा में

सचिव,

हरियाणा विधान सभा,

Delhi-1.

महोदय,

अतारंकित प्रश्न

भवदीय,

श्री नीरज शर्मा(86)

सदस्य

10/08/2023 03:53 PM

निर्वाचन क्षेत्र संख्या व नाम: 86 फरीदाबाद एनआईटी

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

1. 01 जनवरी 2020 से हरियाणा में विभिन्न नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद क्षेत्र में विभाग द्वारा प्राईवेट कम्पनियों को सडक एवं गली तोडने की अनुमति जारी की गई है। इसकी जिलेवार एवं कम्पनियों के नाम सहित ब्यौरा दिया जाएगा।
2. हरियाणा में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद क्षेत्र में सडक एवं गली तोडने की अनुमति दी जाती है या सडक/गली कटींग करने की अनुमति दी जाती है।
3. नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद द्वारा जो अनुमति दी जाती है वह किन शर्तों पर दी जाती है तथा अगर कोई शर्त पूरा ना करे तो उसपर क्या कार्यवाही की जाती है।
4. अगर कोई कम्पनी बिना नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की अनुमति के सडक एवं गली को तोडे तो उसपर क्या कार्यवाही की जाती है।
5. अगर किसी कम्पनी को सडक एवं गली तोडने की अनुमति दी जाती है तो उसको किस आधार पर अनुमति दी जाती है।